

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमाकं एफ 4 (1) पंराज/पीसी/भवन निर्माण /2009/1042

जयपुर, दिनांक 18-12-2

:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::


जिला परिषद/पंचायत समिति कार्यालय भवन निर्माण/विस्तार/परिवर्तन/परिवर्धन/मरम्मत/आधुनिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में जिला परिषदों/पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर एतद्वारा जारी की जाती है :-

क्र. सं.	जिला परिषद /पंचायत समिति	कार्य का नाम, जिला परिषद/प.स.	स्वीकृत राशि		योग
			राज्य मद	निजी आय / अन्य मद	
1	2	3	4	5	6
1	जि०प० पाली	जिला परिषद, भवन निर्माण कुल लागत 218 लाख प्रथम चरण 108 लाख द्वितीय चरण 110 लाख	7.25	100.75	108.00
2	पं०स० सांगोद (कोटा)	पं०स० कार्यालय विस्तार/निर्माण कार्य	5.00	5.00	10.00
		कुल योग (1 से 2)	12.25	105.75	118.00

शर्त:-


- 1-निर्माण कार्य पर राज्य मद से स्वीकृत राशि के बराबर की राशि संबंधित जिला परिषद/पं.सं. को अपनी निजी आय से खर्च करनी होगी ।
- 2-निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशिषी अभियंता) से तकनीकी स्वीकृति ली जावे ।
- 3-निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति/ऐस्टीमेट/नक्शा/नक्शों के माप दण्डों के अनुसार ही करवाया जावे ।
- 4-निर्माण कार्य वित्तीय स्वीकृति उपरान्त प्रारम्भ किया जावे ।
- 5-आवंटित राशि एवं सम तुल्य निजी आय की राशि का उपयोग जिला परिषदों/पं.स. द्वारा किया जा कर सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित किया जावे ।
- 6-राज्य मद की आवंटित राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-
4515 :- मांग सं. 41 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।
103- ग्राम विकास कार्य क्रम ।
(01)- निदेशक , ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से ।

- (01)- पंचायत समितियो / जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु ।
16 लघु निर्माण कार्यक्रम (आयोजना व्यय) ।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय)
- 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली एवं कोटा।
- 3-अधिशषी अभियन्ता जिला परिषद, पाली एवं कोटा।
- 4-विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगोद (कोटा)


अधिशषी अभियन्ता (मु०)